

बिहार सरकार  
वित्त विभाग

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,  
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

1. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पांचवां तल, स्थानीय प्रधान कार्यालय, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना ।
2. फिल्ड जेनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, चाणक्या टावर, आर0 ब्लॉक, पटना ।
3. मुख्य महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, अंचल कार्यालय, बुद्ध मार्ग, कोतवाली थाना के सामने, पटना ।
4. आंचलिक प्रबंधक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, मौर्या लोक, पटना ।
5. प्रबंधक, यूको बैंक, ब्लॉक ए, चौथा तल, मौर्यालोक, पटना ।
6. क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय, आर0 ब्लॉक, पटना ।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनीयन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, अभय भवन, द्वितीय तल, होटल सम्राट इंटरनेशनल के नजदीक, फेजर रोड, पटना ।
8. उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक, सर्किल ऑफिस, लवकुश टावर, तीसरा तल, एक्जीविशन रोड, पटना ।
9. क्षेत्रीय प्रमुख, बिहार-1 क्षेत्र, आई0डी0बी0आई0 बैंक, काशी पैलेस, तीसरा तल, न्यू डाकबंगला रोड, पटना ।
10. उप महाप्रबंधक, यूनीयन बैंक ऑफ इंडिया, नसीमन भवन, रेडियो स्टेशन के नजदीक, फेजर रोड, पटना ।
11. महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, टाटा मोटर, पांचवा तल, आनन्द बिहार बिल्डिंग, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना ।
12. सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

विषय :- पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कटौती की जा रही चिकित्सा भत्ता को बंद करने के संबंध में।

प्रसंग :- स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-398(14), दि0-09.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-944(14), दि0-20.08.2014 द्वारा पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को विकल्प देना था।

वित्त विभागीय पत्रांक-9644, दि0-21.10.2014 द्वारा यह निदेश दिया गया था कि जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर विहित प्रपत्र में अपना विकल्प देते हैं उन्हें दिसम्बर 2014 से मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।

सम्यक विचारोपरांत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0-398(14), दि0-09.03.18 (प्रति संलग्न) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विभागीय संकल्प सं0-944(14), दि0-20.08.14 द्वारा प्रावधानित सुविधा में शामिल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों, जो इस योजना से बाहर निकल कर पूर्व की तरह मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, वे संबंधित बैंक/कोषागार में घोषणा पत्र/विकल्प देंगे।

अतः सभी बैंकों/कोषागारों को निदेशित किया जाता है कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा घोषणा/विकल्प दिये जाने के माह से बन्द चिकित्सा भत्ता रु0 1,000/- (एक हजार) प्रतिमाह का भुगतान पेंशन/परिवार पेंशन की राशि के साथ जोड़कर करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही अपने स्तर से अपने अधीनस्थ सभी शाखाओं को भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सूचित करने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु योजना से बाहर निकलने हेतु दिये जाने वाले घोषणा पत्र/विकल्प का विहित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

यह परिपत्र स्वास्थ्य विभाग की संकल्प सं0-398(14), दि0-09.03.2018 में दिये गये निदेश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

अनु0:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुजाता चतुर्वेदी)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक :- 3/एफ-01-48/2014...../वि0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनकी संकल्प सं0-398(14), दिनांक-09.03.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

ह0/-

(सुजाता चतुर्वेदी)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक :- 3/एफ-01-48/2014.....2428/वि0, पटना, दिनांक. 27/2/18

प्रतिलिपि :- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(सुजाता चतुर्वेदी)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

पेंशनर/उनके पति/पत्नी की स्व-अभिप्रमाणित  
संयुक्त फोटो/परिवार पेंशनर का  
स्व-अभिप्रमाणित फोटो

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक,  
.....

१. (क) सरकारी कर्मी का नाम :-
- (ख) पदनाम (सेवानिवृत्ति से पूर्व) :-
- (ग) जन्म तिथि :-
- (घ) वर्तमान आवासीय पता, ग्राम/रोड सं० :-  
पोस्ट :-  
थाना :-  
जिला :-
- (ड.) मोबाईल/दूरभाष नं०/ई-मेल (यदि कोई हो) :-
२. सेवा में योगदान की तिथि :-
३. सेवा निवृत्ति/मृत्यु (जो प्रासंगिक हो) की तिथि :-
४. पी०पी०ओ० नं० :-  
(छयाप्रति संलग्न करें)
५. पति/पत्नी (Spouse) का नाम एवं जन्म तिथि :-
- \*६. (i) परिवार पेंशनर का नाम एवं जन्म तिथि :-  
(ii) सरकारी सेवक से संबंध :-
७. बैंक का नाम, शाखा का नाम :-
८. बैंक खाता सं० :-
- \*९. कोषागार का नाम :-  
(जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं)

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं इस योजना का लाभ लेना नहीं चाहता हूँ/चाहती हूँ। सरकार द्वारा कटौती की जा रही मासिक चिकित्सा भत्ता रु० १०००/- (एक हजार) रुपये को बंद कर मेरे पेंशन/परिवार पेंशन में जोड़ दिया जाय।

(पेंशनर/परिवार पेंशनर का हस्ताक्षर)

- नोट :-
१. जिस बैंक शाखा/कोषागार से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त किया जा रहा है वहाँ विकल्प आवेदन जमा करना होगा।
  २. उपर क्रम सं० ६ एवं ९ जिसके संबंध में लागू हो, उनके द्वारा ही भरा जायेगा।

बैंक/कोषागार द्वारा भरा जाएगा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को देय मासिक चिकित्सा भत्ता रु० १,०००/- (एक हजार) का भुगतान विकल्प देने के माह से चालू किया जायेगा

बैंक के शाखा प्रबंधक/कोषागार पदाधिकारी  
(मुहर एवं सील के साथ)